न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/470

रामेश्वर आत्मज नाथूलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. विनोद कुमार आत्मज लटूर लाल मेघवाल ।
2. मनीष कुमार आत्मज लटूर लाल मेघवाल ।
3. चन्द्रकला बेवा लटूर लाल मेघवाल ।
4. रीना पुत्री लटूर लाल मेघवाल निवासीगण ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. रामगोपाल आत्मज नाथूलाल मेघवाल जाति मेघवाल हाल निवासी मं0 नं0 –6 बी–57 बसन्त बिहार, कोटा ।
6. मुकेश बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी आदर्श निवासी आदेश नगर कोलोनी भण्डारी अस्पताल के पीछे कुन्हाडी कोटा ।
7. मंजू बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी चौथमल जाति मेघवाल निवासी मस्जिद के पास विज्ञान नगर, कोटा ।
8. कान्ति बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवीस जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मायाराम स्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद की आराजी कुल 12 किता की 14.25 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण क्रम 1, 2 व 4 के पडदादा के पिता व प्रतिवादी क्रम 01 के दादा श्री नारायण जी के खाते की भूमि थी जो नारायण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 01 के पिता रामचन्द्र व किशनलाल, छीत्या, हल्दी के नाम दर्ज हुई । रामचन्द्र जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 01 का नाम दर्ज हुआ । किशन लाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान मोत्या, बनवारी व बंशीलाल के नाम दर्ज हुई । उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 व किशन लाल के वारिसान, छीत्या व हल्दी का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज है । खातेदार हल्दी ने अपने हिस्से की भूमि वादी क्रम 03 को वसीयत कर दी । खातेदार बंशीलाल व बनवारी ने अपने हिस्से की भूमि वादी क्रम 03 को बेचान कर दी । मोत्या बाई ने अपने हिस्से की भूमि वादी क्रम 1 व 2 के नाम वसीयत कर दी । छीत्या ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 01 को हक त्याग कर दिया । प्रतिवादी क्रम 01 की बहिन पांची ने भी अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 01 के पक्ष में हक त्याग कर दी । इस प्रकार उक्त भूमि में वादी क्रम 1 से 3 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 01 का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी कुल 12 की 14.25 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 से 06 को 1/14–1/14 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी क्रम 01 अपने हिस्से 1/14 से अधिक का रहन, बेचान, अन्तरण दान, वसीयत आदि नहीं करे और उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.06.2018 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके का निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में कराये बिना व कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही सरसरी तौर पर रेस्पोडेन्ट क्रम 07 से कैम्प पर ही समस्त कार्यवाही कर अंतिम डिक्री कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना अंतिम डिक्री पारित की है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.02.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये । अपीलान्ट ने धारा 151 सीपीसी के तहत दिनांक 04.06.2018 को ही प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था फिर भी उस पर गौर किये बिना विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की गई । मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में रिपोर्ट नहीं बनायी गयी है, कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । आपसी विभाजन के आधार पर अपीलान्ट खसरा नम्बर 238 की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है जिस पर अपीलान्ट ने बोरिंग किया हुआ है और 03 कमरे बनाये हुए हैं उस पर अपीलान्ट के अलावा किसी अन्य का कब्जा नहीं है । इस आराजी का भी विभाजन कर दिया गया है । मेन रोड की सारी भूमि वादीगण को दी गई थी । नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिांक 04.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में विभाजन की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिस पर आपित्त पेश होने पर पुनः रिपोर्ट मंगवायी गई है और इस रिपोर्ट में समस्त पक्षकारों को सुना गया है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । आपत्ति जो पेश की गई है उसका भी निस्तारण किया गया है और विधि–सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये हैं उसमें बिजली का बिल है जो रेस्पोडेन्ट के नाम है । कुछ फोटो भी वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट ने पेश किये हैं । लोक अदालत में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें वादी और प्रतिवादी के अभिभाषक भी उपस्थित हुए हैं । विभाजन के उपरान्त जो आराजी अपीलान्ट को प्राप्त हुई है उस पर बैंक से लोन लिया है जिससे यह स्पष्ट है कि वो विभाजन से सहमत हैं । एक तरफ उस आराजी को अपना बताकर बैंक से लोन लिया है और दूसरी तरफ अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील पेश की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के समुचित कारण दर्शित नहीं किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 55 उद्धरत की ।

10. अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि अपीलान्ट विभाजन प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपनी आपत्ति पेश की है । रेस्पोडेन्ट द्वारा जो बिजली का बिल पेश किया है वह उनके मकान का है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में हमने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की गई है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.06.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है । पत्रावली पर संलग्न विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । विभाजन प्रस्ताव आई0एल0आर0 के द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारों की मौजूदगी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही समस्त पक्षकारान के हिस्से का पृथक–पृथक दर्शाते हुए अलग–अलग स्याही का उपयोग करते हुए नजरी नक्शा बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 04.06.2018 को धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति भी प्रस्तुत की है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी नहीं किया है जो कि आवश्यक है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद से पुनः राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए, आपत्तियों का निस्तारण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा